e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) मुंगेर–16/2022 273 पटना, दिनांक : 16/01/2024

आदेश

बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 900/सर्वे दिनांक 08.11.2023 द्वारा मो0 नवाब शारिब कौसर (SKN05321), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि इनके अकर्मन्यता के कारण सर्वेक्षण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने, कार्यालय दिनचर्या एवं कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने तथा इनके द्वारा कानूनगो डायरी नहीं भरने के साथ–साथ बार–बार उपस्थिति पंजी में छेड़–छाड़ करने का आरोप लगाया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इन्हें आवंटित 05 राजस्व ग्राम – भालगुड़ी (312), मंजुरा (350), सवईया (316), भण्डार (278) एवं एराजी तिलकारी (317) में प्रपत्र–8 में प्राप्त दावा/आपत्ति के सुनवाई करने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका, जिसके कारण प्रारूप प्रकाशन (प्रपत्र–12) का कार्य बाधित है। साथ ही साथ बिना किसी सूचना के अक्सर शिविर कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा दिनांक 06.10.2023 से 07.10.2023 तक की अवधि में शिविर प्रभारी को बारम्बार मोबाइल पर कॉल कर के अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। इनके कारण शिविर कार्यालय के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न होने के साथ–साथ शिविर कार्यालय के सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को भ्रमित कर कार्य बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए, संविदा नियोजन समाप्ति की अनुशंसा की गई है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक– 8910 दिनांक– 14.11.2023 के द्वारा मो0 कौसर से 03 (तीन) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

दिये गए निदेश के आलोक में आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के उपरान्त समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि इन पर शिविर प्रभारी के कहने पर आरोप प्रतिवेदित किया गया है। इनके द्वारा अवैध अवकाश का लोभ देकर कार्यालय चलाने की बात कही गई है। साथ ही शिविर प्रभारी द्वारा परेशान एवं मानसिक दबाव बनाने की बात अंकित की गई है तथा आवंटित कार्यों को सम्पन्न करने के संबंध में सूचना दी गई है।

इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा स्पष्टीकरण की प्रतिलिपि सहायक निदेशक के अतिरिक्त लगभग 08 अन्य पदाधिकारियों को दी गई है, जिसमें से 01 प्रतिलिपि के रूप में बिहार लोक शिकायत निवारण के तहत शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेषित की गई है, जबकि स्पष्टीकरण इनसे सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप स्तर पर की गई थी, तो इस परिस्थिति में स्पष्टीकरण का उत्तर सीधे उन्हें जांच हेतु दिया जाना चाहिये था, न कि प्रतिलिपि के रूप में विभाग से इतर पदाधिकारियों को और अन्य प्राधिकृत संस्था में शिकायत दर्ज करने हेतु। इनके इस कृत्य से स्पष्ट होता है कि इन्हें अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का समाधान विभागीय स्तर पर न कराकर अन्य जगह सूचना देना चाहते हैं।

मो0 कौसर के स्पष्टीकरण के समीक्षा से स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा इनके कार्य प्रगति एवं सामान्य आचरण के दृष्टिगत टेटियाबम्बर, शिविर–1 से टेटियाबम्बर, शिविर–2 में प्रतिनियुक्त किया गया है, परन्तु कार्य प्रणाली एवं आचरण में सुधार नहीं होने के कारण इनके संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गई। मो0 कौसर की कार्य प्रगति के संबंध में स्थिति यह है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा जिन 05 राजस्व ग्रामों के प्रारूप प्रकाशन बाधित रहने के कारण मो0 कौसर के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई है, उनमें से अब तक मात्र 01 राजस्व ग्राम का प्रपत्र–12 में प्रारूप प्रकाशन किया गया है, शेष राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख अब तक अप्रकाशित है, जो विशेष सर्वेक्षण के कार्यों में इनकी लापरवाही को प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है कि मो0 कौसर के कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है एवं समर्पित स्पष्टीकरण में कार्य प्रगति के स्थान पर अन्य पदाधिकारियों पर दोषारोपण करने का अधिक प्रयास किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद भी सर्वेक्षण कार्य में अभिरूचि नहीं लिया गया है, जो कि आदेशोल्लंघन, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के साथ–साथ स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। इनके कृत्य का कुप्रभाव अन्य कर्मियों पर नहीं पड़ने तथा सर्वेक्षण कार्य में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिगत इन्हें संविदा नियोजन में रखना उचित नहीं है।

अतः बन्दोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा से सहमत होते हुए ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)'' के आलोक में मो0 शारिब कौसर (SKN05321), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 16.1.24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) मुंगेर–16/2022 273 पटना, दिनांक : 16/01/2024

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 16.1.24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) मुंगेर–16/2022 273 पटना, दिनांक : 16/01/2024

प्रतिलिपिः– श्री मो0 नवाब शारिब कौसर, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (ID-SKN05321), बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 16.1.24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (संविदा) मुंगेर–16/2022 273 पटना, दिनांक : 16/01/2024

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अंतर्गत संधारित उक्त कर्मी की व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक 16.1.24
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2024\Bablu Sir\Order\16-2022-10.01.2024.doc